न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :–269/2022

निर्णय दिनांक :– 27.10.2025

उनवान प्रार्थना पत्र :–

नोलाराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. लखमाराम पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. शान्ति पुत्री रंगलाल जाति मीणा निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. श्रीमान् तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खातेदारी भूमि हॉल खाता संख्या 56 खसरा संख्या 1247/757 रकबा 0.05 है0 व खसरा संख्या 733 रकबा 0.45 है0 व खसरा संख्या 734 रकबा 0.68 है0, खसरा सं0 737 रकबा 0.61 है0, खसरा सं0 738 रकबा 0.52 है0, खसरा सं0 751 रकबा 0.07 है0, खसरा सं0 752 रकबा 0.38 है0, खसरा सं0 753 रकबा 0.94 है0, खसरा सं0 754 रकबा 0.13 है0 कुल किता–9 कुल रकबा 3.83 है0 भूमि वाके ग्राम बेनपा पटवार हल्का टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है जिसमें प्रार्थी का निरंतर कब्जा काष्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खाली एवं पड़त है। प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेतों में खसरा संख्या 1092 गै0मु0 रास्ता से होकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि हाल खसरा संख्या 1051 व 1050 की मेंर से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 738 में पहुंचता है। और प्रार्थी उक्त रास्ते से ही अपनी जोत पर कृषि कार्य करने के लिए आता–जाता है वर्तमान में उक्त खसरा संख्या 1051 व 1050 अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की खातेदारी में अकिंत है। किन्तु उक्त आने जाने वाला रास्ता रिकार्डली रास्ता नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि मे से आने जाने वाले रास्ते को खोदकर नाजायज रूप से उक्त रास्ते में कब्जा करने के उद्देश्य से रास्ते को अवरोध/बन्द कर उक्त कदीमी रास्ते को अपने खातेदारी भूमि में मिलाकर प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी गरीब, काश्तकार पेंशनर व्यक्ति है प्रार्थी के खेतों में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और उक्त रास्ता ही प्रार्थी के खेतो मे आने जाने के लिए सरल एवं सुगम रास्ता है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने वाले रास्ते को खाई अवरोध/बन्द करने से प्रार्थी को अपने खेतो की हकाई जुताई आदि कृषि कार्य करने में काफी पेरशनी आ रही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण नं0 1 ता 3 को उक्त रास्ते का खुलासा करने लिए कहने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रार्थी के परिवार के सदस्य के साथ

Ruby

लडाई–झगडा करने मे उतारू हो जाते है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थी को आने जाने के लिए साफ इन्कार कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी के जानवर भूखे मर जायेंगे। और उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा अवरोध/बन्द कर देने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर सिंचाई करने व हकाई जुताई करने के साधन को लाने ले जाने में काफी समस्या आ रही है और उक्त रास्ता बन्द होने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में होने वाली पैदावार को खेतो से बाहर निकालने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रिकार्डली रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी के खेतो का भविष्य में पड़त पड़े रहने की पूरी पूरी संभावना है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड उक्त खसरा संख्या 1051 व 1050 की मेर से रिकार्डली नया रास्ता दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी को खसरा नम्बर 1092 गै0मु0 रास्ता में से होकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1051 व 1050 की मेर के पूर्व से पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। जिससे प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में बिना रोक टोक के कृषि कार्य आसानी से कर सके। अप्रार्थीगण 1 ता 3 की माता कमला देवी की मृत्यु होने के कारण उसकों प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। मृतक कमला देवी के वारिसान पहले से ही प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी रेट की राशि जमा करने को तैयार है। अप्रार्थीगण सं0 4 को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनया है। प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 1092 गै0मु0 रास्ता में से होकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1051 व 1050 की मेर के पूर्व से पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता रामनिवास तुनगारिया द्वारा जवाब पेश किया गया जो निम्न प्रकार है– प्रार्थना पत्र के चंरण संख्या 01 में अंकित तथ्य खातेदारी बाबत् स्वयं सिद्ध करे तथा भूमि खाली व पड़त पडी हुई है के तथ्य गलत है व स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र के चंरण संख्या 02 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है व स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र के चंरण संख्या 03 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है व स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र के चंरण संख्या 04 के बाद अंकित चरण संख्या 5 मृतक के वारिसान पक्षकार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चंरण संख्या 05 के बाद अंकित चरण संख्या 6,7,8 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के अन्त में चाही गई प्रार्थना गलत है स्वीकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारीज किये जाने योग्य है मुलायजा हो विशेष आपत्तिया : – प्रार्थी को अप्रार्थी के खसरा न0 1050 व 1051 में से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी अपने गै0मु0 चाह खसरा न0 1052 से अपनी उक्त भूमि की सिंचाई नही कर सकता तथा अपने गै0मु0 चाह के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी की भूमि दो भागो में बंट जायेगी तथा अप्रार्थी उक्त रास्ते की वजह से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पायेगा। अधिनियम के अनुसार रास्ता सबसे कम दूरी से लिया जाये तो ही रास्ता दिया जाता है इसके विपरित जाकर प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा न0 738 में रास्ते के लिये राजकीय भूमि खसरा न0 1053 में से रास्ता लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था जो मुख्य रास्ते से सबसे कम दूरी पड़ती है। वही प्रार्थी सबसे लम्बी दूरी वाला रास्ता लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है खारीज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हजा खर्चा खारीज फरमाया जावे। जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है व स्वीकार नही है।

तहसीलदार देवली के पत्र कमांक 1249 दिनांक 18.12.2024 द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। अधि0 उभयपक्ष द्वारा प्राप्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता रामनिवास तुनगारिया ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर बहस के दौरान अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने से अप्रार्थी की आराजी दो हिस्सो में बंट जायेगी एवं गै0मु0 चाह का उपयोग उपभोग नही कर सकेगा अतः प्रार्थी की खसरा भूमि 738 में जाने हेतु रास्ते के लिये राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1053 में से सबसे कम दूरी पड़ती है इसलिये रास्ता राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1053 में से लिये जाने हेतु निवेदन करने पर दिनांक 03.03.2025 को उक्त प्रकरण में पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार देवली को लिखा गया। तहसीलदार देवली के पत्र कमांक : 427 दिनांक 02.06.2025 द्वारा पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो निम्न प्रकार है :– उक्त प्रकरण की पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु ग्राम बेनपा के ख0न0 738, 1051, 1053 के मौके पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी को आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता लघुतम दूरी का रास्ता नही है लघुतम दूरी का रास्ता खसरा न0 1051 व 1050 में है जो पूर्व में प्रस्तावित रास्ता था। प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ता खसरा न0 1092 से जुड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की लंबाई चौड़ाई निम्न प्रकार हैः–

क0स0	ख0न0	लम्बाई मीटर मे	चौड़ाई मीटर में
1.	1051	8	6
2.	1053	30	6

प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 228 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम बेनपा की डीएलसी दर 462000/–रूपये प्रति है0 है तथा डीएलसी दर से एक गुणा राशि 10534 व दुगुनी प्रतिकर राशि 21068/– रूपये भुगतान योग्य है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी जिस खसरा नम्बर से रास्ता चाहते है उसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना जैसे पेड़, दीवार आदि नही है। अप्रार्थी रास्ता देने हेतु असहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा न0 1051 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी दर्ज है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि 1053 राजकीय है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में 15 फीट का रास्ता चाहा गया था। अतः मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली में बहस नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार देवली की पुनः रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी खातेदारी भूमि हॉल खाता संख्या 56 खसरा संख्या 1247/757 रकबा 0.05 है0 व खसरा संख्या 733 रकबा 0.45 है0 व खसरा संख्या 734 रकबा 0.68 है0, खसरा सं0 737 रकबा 0.61 है0, खसरा सं0 738 रकबा 0.52 है0, खसरा सं0 751 रकबा 0.07 है0, खसरा सं0 752 रकबा 0.38 है0, खसरा सं0 753 रकबा 0.94 है0, खसरा सं0 754 रकबा 0.13 है0 कुल किता–9 कुल रकबा 3.83 है0 भूमि वाके ग्राम बेनपा पटवार हल्का टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा न0 1051 अप्रार्थी की खातेदारी दर्ज है। प्रस्तावित

रास्ते की भूमि 1053 राजकीय है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि आपके कार्यालय क्रमांक :राजस्व/2025/427 दिनांक 02.06.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में सलंग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता संख्या 56 खसरा संख्या 1247/757 रकबा 0.05 है0 व खसरा संख्या 733 रकबा 0.45 है0 व खसरा संख्या 734 रकबा 0.68 है0, खसरा सं0 737 रकबा 0.61 है0, खसरा सं0 738 रकबा 0.52 है0, खसरा सं0 751 रकबा 0.07 है0, खसरा सं0 752 रकबा 0.38 है0, खसरा सं0 753 रकबा 0.94 है0, खसरा सं0 754 रकबा 0.13 है0 कुल किता–9 कुल रकबा 3.83 है0 भूमि वाके ग्राम बेनपा पटवार हल्का टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग खसरा नम्बर 1051, 1053 में से निम्नानुसार रास्ता दिया जाना है।

क0स0	ख0न0	लम्बाई मीटर मे	चौड़ाई मीटर में
1.	1051	8	6
2.	1053	30	6

प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 228 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम बेनपा की डीएलसी दर 462000/–रूपये प्रति है0 है तथा डीएलसी दर से एक गुणा राशि 10534 व दुगुनी प्रतिकर राशि 21068/– रूपये भुगतान जमा कर अथवा पुनः वर्तमान प्रचलित डीएलसी की दुगुनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर तरमीम कर पालना रिपोर्ट 30 दिवस में प्रेषित करे। तत्पश्चात् प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा न0 1051 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी दर्ज होने से सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी को उनके हिस्से अनुसार संदाय करे। प्रस्तावित रास्ते की भूमि 1053 राजकीय होने से जमा राजकोष करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.10.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)